

संख्या 465 448/1(3)/74 गौपाल, दिनांक 15 जुलाई, 1974
प्रति,

के समस्त विभाग,
राज्य शासन भवन, मध्य प्रदेश प्रशासन विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश।

विषय - कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावलियों में अंकित प्रतिकूल टीकाएँ
बिना विलम्ब के सूचित करने के बारे में।

==*

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावलियों में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियाँ बगैर किसी विलम्ब के संसूचित की जाएँ, तथापि ऐसी प्रविष्टियों को विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा केवल इस कारण नजर अन्दाज न किया जाय कि वे संबंधित कर्मचारी को संसूचित नहीं की गई हैं; और यह प्रविष्टियाँ कर्मचारियों के पदोन्नति के समय विचार में ली जाएँ।

2/ वर्तमान में राजपत्रित अधिकारियों के लिये उनकी गोपनीय चरित्रावलियों में अंकित प्रतिकूल टीकाएँ रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर संसूचित करने के निर्देश हैं। यही अवधि समस्त कर्मचारियों के लिये लागू की जाय।

3/ राज्य शासन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि शासकीय कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावलियों में अंकित प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ निर्धारित समयावधि के भीतर संसूचित की जाएँ और जो अधिकारी/कर्मचारी विलम्ब के लिये दोषी पाया जाय उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

9/7/74

(बलदेवसिंह)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी०क्रमांक 466 /446/1(3)/74 भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 1974
प्रतिनिधि -

- 1- निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
सचिव, निबंधक, मध्यप्रदेश, इन्दौर
सचिव, राज्यपाल के कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

- 2- राज्यपाल के निजी सचिव
सचिव, निजी सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल

- 3- अवर सचिव(स्थापना) / अवर सचिव(अधीक्षण) / लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश
सचिवालय, भोपाल

- 4- मुख्य मंत्री / समस्त मंत्रिगण / समस्त राज्य मंत्रिगण / समस्त उप मंत्रिगण
के निज सचिव / निज सहायक

की जोर सूचनार्थ अंगीकृत ।

अवर सचिव

श्रीवासः
11/7/74